



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266778
CG-DL-E-08102025-266778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]
No. 304]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
शुद्धिपत्र अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2025
मामला सं. एडी (ओआई)-36/2024

विषय: वियतनाम में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जाँच।

फा. सं. 6/38/2024.—डीजीटीआर समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वियतनाम में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच के आयात पर की गई एंटी-डंपिंग जाँच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर दिनांक 27.09.2025 जारी की।

2. अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 350 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:

"350. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी, नियम 17(1)(ख) के साथ पठित नियम 4(घ) में निहित प्रावधानों के अनुसार, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम

हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी वियतनाम में मूलतः या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर है।”

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2025

Case No. – AD(OI):36/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Calcium Carbonate Filler Masterbatch” originating in or exported from Vietnam.

F. No. 6/38/2024.—DGTR Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, therefore, the Designated Authority issued the final findings notification number 6/38/2024-DGTR dated 27.09.2025 in respect of anti-dumping investigation undertaken on imports of Calcium Carbonate Filler Masterbatch originating in or exported from Vietnam.

2. Paragraph 350 of the final findings stands substituted as below:

“350. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from Vietnam for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below for a period of 5 years.”

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority